...यालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक जिलाधीश, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

मनीराम बनाम सरकार

किस्म मुकदमाः— 212 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रकरण संख्याः 34 सन् 2022

GCMS:- 2022/94

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
05.12.2024	आज यह पत्रावली प्रस्तुत हुई। बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के अभिभाषक ने बताया कि प्रार्थी के पिता को आवंटन नियम 1957 के तहत तत्कालीन आवंटन एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा दिनांक 07.05.1976 को गांव चाहड़सर तहसील सूरतगढ़ के खसरा नम्बर 16 मिन. का 0.11 बिस्वा, 20 मिन. का 18.10 बीघा, 33 मिन. का 0.15 बिस्वा, 43 मिन. का 0.18 बिस्वा, 44 में 0.05 बिस्वा, 56 में 0.03 बिस्वा, 59 में 0.01 बिस्वा, 61 में 7.13 बीघा, 62 में 14.01 बीघा, 71 में 0.19 बिस्वा, 73 में 5.09 बीघा, 75 में 5.16 बीघा, 77 में 0.01 बिस्वा सभी खसरों की कुल 55.02 बीघा भूमि दस शाला आवंटन कर मौका पर कब्जा दे दिया गया था व रकबा खसरा गिरदावरियों में दर्ज कर दिया गया क्योंकि उपनिवेशन विभाग के समय जमाबंदी नहीं बनाई जाती थी। बाद में खसरा परिवर्तन के समय प्रार्थी को बताया गया कि जिस खसरों की भूमि को प्रार्थी काश्त कर रहा हैं वह भूमि इसी गांव चाहड़सर के खसरा नम्बर 13, 190, 200, 244, 285, 501/73, 550/364 का 4.717 हैक्टेयर रकबा हैं जो आवंटित रकबा से ही पैमूद हुआ हैं व इसी रकबा को गैर खातेदारी आराजी काश्तकार घोषित करवाने का वादपत्र श्रीमान जी की अदालत में विचाराधीन हें। प्रार्थी व उसके परिवार ने कड़ी मेहनत करके व भारी खर्चा लगाकर भूमि को काबिल काश्त किया हैं व पूरे परिवार के भरण षोषण इसी भूमि से होता हैं। दावे का निर्णय होने से पूर्व ही जैरप्रकरण रकबा प्रार्थी से छिन गया व किसी अन्य को आवंटन कर दिया या तबादला दे दिया तो प्रार्थी के किसी अन्य को आवंटन कर दिया या तबादला दे दिया तो प्रार्थी के दावे का मकसद ही समाप्त हो जायेगा व प्रार्थी को भारी क्षति होगी। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में हैं, सुविधा का सन्तुल प्रार्थी के पक्ष में हैं व अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी को होने वाली हैं। बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यो, गिरदावरीयों की नकले व शपथ पत्र को भी ध्यानपूर्वक पढ़कर मनन किया। प्रार्थी ग्रामीण क्षेत्र का मजहबी हरिजन जाति का कमजोर काश्तकार हैं। वाद पत्र अभी इस अदालत में विचाराधीन हैं। न्याय हित में आदेश पारित किया जाता हैं कि रोही चाहड़सर की जमाबंदी संवंत 2070 ता 2073 के खाता सख्या 1 में दर्ज खसरा नम्बर 13 की 1.4040 हैक्टेयर, 190 की 0.4170 हैक्टेयर, 200 की 0.8730 हैक्टेयर, 244 की 0.5060 हैक्टेयर, 285 की 0.1520 हैक्टेयर, 501/73 की 1.1010 हैक्टेयर, 550/364 की 0.2640 हैक्टेयर कुल 4.7170 हैक्टेयर बारानी भूमि को मूल वाद [illegible] को आवंटन नहीं किया जावे व प्रार्थी के कब्जा [illegible] किसी प्रकार से दखलंदाजी नहीं की जावे। [illegible] दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Sandeep Kumar Date: 2024.12.19 13:06:49 IST Reason: SelfAttested उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ